न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा
पीठासीन अधिकारी श्री चिम्मनलाल मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
वाद संख्या–168 / 2012

1. धर्मेश माल पुत्र श्री मोतीलाल जाति गुर्जर निवासी ए–1 माल ज्योति मोती नगर गुढाकटला रोड बांदीकुई।

–: वादीगण

बनाम

1. सावित्री देवी पत्नि रामेश्वर जाति ब्राहम्ण निवासी आभानेरी तह0 बसवा।
2. धारा सिंह पुत्र रामस्वरूप
3. श्रीमती विनोद पत्नि धारासिंह जाति गुर्जर निवासी बिचला बास वार्ड नं0 33 दौसा।
4. छगनलाल पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी आभानेरी तह0 बसवा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा।
6. चेरयमैन जयपुर विद्युत वितरण निगम ज्योति नगर जयपुर राज0।
7. सहायक अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम उपखण्ड बांदीकुई।
8. कनिष्ठ अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम उपखण्ड बांदीकुई।

–: प्रतिवादीगण

दावा बाबत भूमि विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक निर्णय–15.02.2018

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि एक वाद बाबत भूमि का विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा वादी धर्मेशमाल पुत्र श्री मोतीलाल माल जाति गुर्जर निवासी ए–1 माल ज्योति मोती नगर गुढाकटला रोड बांदीकुई तहसील बसवा द्वारा एक वाद पत्र न्यायालय हाजा में दिनांक 10.10.2012 को वादी पक्ष द्वारा पेश कियां। वाद पत्र के अनुसार भूमि ख0 नं0 609 रकबा 0.60 है0 चाही 3, 610 रकबा 0.39 है0 जाब 3, 610/1040 रकबा 0.01 है0 गै0 मु0 चाह, 611 रकबा 0.90 है0, 612 रकबा 0.51 है0 जाव 3, 613 रकबा 0.45 है0 चाही तीन, 614 रकबा 0.35 है0 बारानी ए0, 615 रकबा 0.60 है0 बारानी ए0, 616 रकबा 0.10 है0 बारानी ए0 तथा 619 रकबा 1.09 है0 बारानी ए कुल किता 10 रकबा 5.00 है0 रामा जस्सापाडा तह0 बसवा की खतौनी संख्या नई 49 पुरानी 42 सम्वंत 2065 से 2068 में

उप जिला कलेक्टर
बाँदीकुई (दौसा)

जिला दौसा।

अभिलिखित स्थित है जिसका वार्षिक लगान कुल 155/– रू0 68 पैसा निर्धारित किया हुआ है। नकल जमाबन्दी 2065 से 2068 वाद पत्र के साथ संलग्न है इस सम्पूर्ण भूमि को इस वाद पत्र में आगे चलकर भूमि विवादग्रस्त के नाम से सम्बाधित किया गया है।

भूमि विवादित जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण संख्या एक में किया गया है मूल रूप से जगदीश प्रसाद, श्यामलाल, गोपाल कृष्ण पिसरान बृजमोहन, रामदुलारी बेवा बृजमोहन सम्मलित हिस्सा 4/5, छगनलाल प्रतिवादी नम्बर चार हिस्सा 1/5 की अभिलिखित खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि चली आती रही थी। उपरोक्त सभी खातेदारान ने भूमि विवादग्रस्त का आपसी मन समाई से मौके पर विभाजन किया हुआ था जिसके अनुसार प्रतिवादी नं0 4 छगनलाल का उसके हिस्से अनुसार ख0 नं0 614, 615 व 616 बाहमी बंटवारे के आधार पर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

प्रतिवादी नम्बर चार को अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपया पैसा की आवश्यकता होने पर प्रतिवादी नं0 4 ने भूमि विवादग्रस्त में अपने हिस्से 1/5 का विक्रय वारी को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र 7 जून 2012 को कर अपने हिस्से व कब्जे काश्त भूमि ख0 नं0 614, 615 व 616 पर वादी का आधिपत्य कर दिया। वादी भूमि विवादग्रस्त में से प्रतिवादी नं0 4 से उसक हिस्से में तत्सम दर्ज हिस्सा 1/5 के अनुसार बाहमी बंटवारे के आधार पर प्रतिवादी नं0 4 के आधिपत्य के ख0 नं0 614, 615 व 616 पर काबिज हुआ और इस कब्जे के आधार पर वादी द्वारा क्रय की गयी भूमि का नमान्तकरण संख्या 397 दिनांक 5.07.12 वादी के हक में खोला जाकर स्वीकार एवं सत्यापित हुआ है। जिसके प्रभाव की प्रविष्ठि वादी के हक में राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सं0 2065 से 2068 में विधिवत रूप से की जा चुकी है। इस प्रकार वादी विवादग्रस्त भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र के चरण संख्या एक में किया गया है का 1/5 हिस्से का खातेदार काबिज काश्तकार है।

मूल खातेदार रामदुलारी बेवा बृजमोहन ब्राह्मण निवासी आभानेरी जिसका भूमि विवादग्रस्त में 1/5 हिस्सा अभिलिखित था, के देहान्त के बाद उसका 1/5 वां हिस्सा उत्तराधिकार के आधार पर उसके तीन पुत्रों जगदीश प्रसाद, गोपाल कृष्ण व प्रतिवादी नम्बर चार छगनलाल को तथा एक पुत्र श्यामलाल का स्वर्गवास हो जाने से श्यामालाल के पुत्रों सुरेन्द्रकुमार, रविन्द्र कुमार जो रामदुलारी के पौत्र है को प्राप्त हुआ जिसकी विरासत का नमान्तकरण सुख्या 398 दिनांक 5.07.12 को जगदीश प्रसाद, गोपाल कृष्ण, छगनलाल

15/02

उप जिला कलेक्टर
बाँदीकुई (दौसा)

प्रतिवादी नं0 4 तथा सुरेन्द्र कुमार, रविन्द्र कुमार के हक में खोला जाकर स्वीकार एवं सत्यापित हुआ। जिसके प्रभाव की प्रविष्ठि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में विधिवत रूप से की जा चुकी है। रामदुलारी के स्वर्गवास के कारण उसकी विरासत का नामान्तकरण उसके पुत्रों पोत्रों के नाम उपरोक्तानुसार स्वीकार हो जाने पर भूमि विवादग्रस्त की खातेदारी प्रविष्ठीयों की स्थित इस प्रकार रही है कि विवादग्रस्त भूमि में रामदुलारी के 1/5 का 1/4 मिलने पर जगदीश प्रसाद 1/4, गोपाल कृष्ण 1/4, सुरेन्द्र, रविन्द्र पिसरान श्यामलाल हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी नम्बर 4 छगनलाल का 1/20 व वादी का 1/5 राजस्व अभिलेख मे अभिलिखित रहा है।

भूमि विवादित की डिक्री बाबत विधिवत विभाजन बहक वादी विरूद्व जात व जायदाद प्रतिवादीगण इस प्रकार पारित फरमायी जावे कि भूमि विवादग्रस्त का वादी के हिस्से 1/5 का मौके पर सरस नरस विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से की भूमि की खातेदारी अलग से बनायी जावे तथा मुताबिक विभाजन वादी के हक हिस्से में आने वाली भूमि का लगान अलग से निर्धारित किया जाकर राजस्व अभिलेख में प्रथक से प्रविष्ठियॉ की जावें।

प्रतिवादीगण को इस अमर से पाबन्द किया जावे कि भूमि विवादग्रस्त का विधिवत सरस नरस विभाजन किये जाने के बाद वादी के हिस्से खातेदारी में आने वाली भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण स्वयं तथा उसके वारिसान, नौकर, प्रतिनिधि किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करे तथा वादी को जबरिया उसकी खातेदारी की भूमि से बेदखल कर प्रतिवादीगण अपना कब्जा जबरिया न करें तथा इस हेतु स्थायी रूप से प्रतिबंधित रहें।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प आभानेरी में पेश हुई। पक्षकारान को सुनवाई हेतु बुलाया गया। पक्षकारान उपस्थित हुए। पक्षकारान का सुना गया। पक्षकारान सरस नरस तकास्मा करने पर सहमत हुए। अतः पक्षकारान को सुनने एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने पश्चात दावा वादी प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

13/6/15

उप जिला कलेक्टर
बाँदीकई (दौसा)

अतः दावा वादी प्राथमिक रूप डिकी किया जाकर तहसीलदार बसवा को आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी ख0 नं0 609, 610, 610/1040, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 619 कुल किता 10 रकबा 5.00 है0 भूमि वाके रामा जस्सापाडा में ख0 नं0 616 रकबा 0.10 है0 भूमि रोडवाली को सम्मिलित रखते हुए समस्त पक्षकारान के मध्य हिस्से अनुसार उनकी उपस्थिति में सरस नरस (Meets and Bounds) व रास्ते आदि का ध्यान रखते हुए कुर्रेजात तैयार कर भिजवाये। आदेश देने के पश्चात तहसीलदार बसवा द्वारा निम्न प्रकार कुर्रेजात प्रस्तुत किये।

नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
धर्मेश पुत्र मोतीलाल जाति गुर्जर सा0 ए. 1 माल ज्योतिनगर जी0 के रोड बांदीकुई खातेदार राहिन आईसीआईसीआई बैंक शाखा बांदीकुई मुर्तहीन।	609 मी0 610 मी0 611 मी0	0.18 0.26 0.54
	किता 3	0.98 है0
सावत्री देवी पत्नि रामेश्वर प्रसाद जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदारी	619 मी0	0.98
	किता 1	0.98 है0
धारासिंह पुत्र रामस्वरूप हि0 1/3 विनोद पत्नि धारासिंह हि0 2/3 जाति गुर्जर सा0 बिचला का बास वार्ड नं0 33 दौसा खातेदार	609 मी0 610 मी0 610/1040 611 मी0 612 613 614 615 619 मी0	0.42 0.13 0.01 0.36 0.51 0.45 0.35 0.60 0.11
	किता 9	2.94 है0
सावत्री देवी पत्नि रामेश्वर प्रसाद हि0 1/5 जाति ब्राहम्ण सा0 देह धारासिंह पुत्र रामस्वरूप हि0 1/5 विनोद पत्नि धारासिंह हि0 2/5 जाति गुर्जर सा0 बिचला का बास वार्ड नं0 33 दौसा बिना रहन धर्मेश पुत्र मोतीलाल हि0 1/5 जाति गुर्जर सा0 ए. 1 माल ज्योतिनगर जी0 के रोड बांदीकुई संयुक्त रूप से रास्ते के उपयोग हेतु ।	616	0.10
	किता 1	0.10 है0

15/02

उप जिला कलेक्टर
बाँदीकुई (दौसा)

प्राप्त कुरेजात पर वादी व प्रतिवादी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर सुनवाई की गयी । आपत्ति मे 10 एयर भूमि रास्ता नही रखने व शामिल मे नही रखने की आपत्ति की परन्तु बाद सुनवाई आपत्ति खारिज कर विभाजन मे रास्ता हेतु 10 एयर भूमि रखी गई है जो सभी के हिस्से मे से कम की जाकर तहसीलदार बसवा द्वारा कुर्रेजात बनाये गये है। नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के आधार पर भी सह खातेदारान को आवामन हेतु रास्ता होना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः प्राप्त कुरेज़ात पर बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया जा कर गुणावगुण के आधार पर मनन किया जा कर प्राप्त कुर्रेजात के अनुसार दावा वादी अंतिम रूप से डिकी किया जाने के आदेश दिये जाते है। पक्षकारान अपने अपने हिस्से मे आये खसरा नम्बर पर किसी प्रकार का कोई दखल एक दुसरे को नही देगा। इस बाबत उसे पाबंद किया जाता है। निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 15.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद पूर्ति जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

15/02/18

(चिम्मनलाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)